

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062025-263561
CG-DL-E-03062025-263561

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2399]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2025/ज्येष्ठ 12, 1947

No. 2399]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2025/JYAISTHA 12, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2025

का.आ. 2458 (अ).— सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा कम्प्यूटर न्यायिक विज्ञान प्रभाग, गोवा न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, गोवा पुलिस विभाग, गोवा सरकार, वर्ना-गोवा – 403722 को भारत में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसूचित करती है, अर्थात:

- (क) कम्प्यूटर (मीडिया) न्यायिक विज्ञान - फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को छोड़कर; और
(ख) मोबाइल उपकरण न्यायिक विज्ञान ।

[फा.सं. 2(4)/2020-सीएसडी]

कृष्ण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th May, 2025

S.O. 2458 (E).— In exercise of the powers conferred by section 79A of the Information Technology Act 2000 (21 of 2000) the Central Government hereby notifies **Computer Forensic Division, Goa Forensic Science Laboratory, Goa Police Department, Government of Goa, Verna-Goa-403722** as Examiner of Electronic Evidence within India, with the following scope, namely:

- (a) Computer (Media) Forensics excluding Floppy Disk Drive;
- (b) Mobile Devices Forensics.

[F. No.2 (2)/2020-CSD]

KRISHAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.